भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल ०२
Phone : 2661263,2737446 **Fax:** 2661263 **Website**:bsgmp.net **E_mail**:scoutguide_bpl@dataone.in

क्र0 / 8406 / रा0मु0 / स्था / 2014 भोपाल, दिनांक 06.0614

—:आदेश:—

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.राज्य मुख्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक / 11—12 / रा.मु. / स्था. / 2005 भोपाल,दिनांक 25.06.2005 द्वारा डॉ0 मुमताज जहां खान, संयुक्त सचिव राज्य मुख्यालय भोपाल को 50 वर्ष की आयु एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकने पर पूर्ण परीक्षण उपरान्त 03 माह की पूर्व सूचना के एवज में नियमानुसार कथित अवधि के वेतन भत्ते का भुगतान करते हुए संस्था हित में नियमानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति प्रदान की गई थी।

उक्त अनिवार्य सेवा निवृत्ति आदेश क्रमांक / 11—12 / रा.मु. / स्था. / 2005 भोपाल ,दिनांक 25.06.2005 के विरूद्ध डॉ. मुमताज जहां खान के द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. में भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. व अन्य के विरूद्ध याचिका क्रमांक W.P. 6710 / 2005 (एस) प्रस्तुत की गई जो लगभग 8 वर्ष तक मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन रहते हुए मान. उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.03.2013 द्वारा श्रीमती खान के अनिवार्य सेवा निवृत्ति आदेश दिनांक 25.06. 2005 को निरस्त करते हुए पुनः सेवा में नियमानुसार निवृत्ति की आयु पूर्ण करने तक सेवा में लिए जाने एवं उक्त अवधि के लिए नियमानुसार वेतन भत्तो का भुगतान किये जाने विषयक निर्णय पारित किया गया।

मान. उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 04.03.2013 के विरूद्ध भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. राज्य मुख्यालय भोपाल द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील क्रमांक 318 / 2013 प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.04. 2014 में निर्णय दिया गया की संबंधित श्रीमती खान को सेवा में पुर्नस्थापित किया जावे एवं पिछला वेतन भुगतान एवं अन्य देय लाभ वर्तमान अपील के लंबित रहने तक स्थगित किये जाते है। मान. उच्च न्यायालय के उक्त अपील में निर्णय दिनांक 07.04.2014 के परिपालन में श्रीमती खान द्वारा दिनांक 15. 04.2014 को पूर्वान्ह में संयुक्त सचिव भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय भोपाल में अपनी उपस्थिति दी है जिसे राज्य मुख्यालय द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय के परिपालन में मान्य किया गया। इस प्रकार श्रीमती खान के उपस्थित होने से संयुक्त सचिव भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. राज्य मुख्यालय भोपाल के संयुक्त सचिव के रचनाक्रम के मान से स्वीकृत 01 पद वेतनमान 6500—10500 में पद पूर्ति हो गई।

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के रचनाक्रम में संयुक्त सचिव का 01 पद स्वीकृत है जिस पर वर्तमान में श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर वेतनमान 6500—10500 में कार्यरत है।

डॉ. मुमताज जहा खान के संयुक्त सचिव के पद पर उपस्थित हो जाने से वरिष्ठाक्रम में अब कार्यरत होने की स्थिति इस प्रकार होगी:—

1.	डॉ. मुमताज जहां खान	संयुक्त सचिव	6500—10500
2.	श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर	संयुक्त सचिव	6500—10500

संस्थान में संयुक्त सचिव का रचनाक्रम के मान से 01 पद वेतनमान 6500—10500 स्वीकृत होने तथा वर्तमान में संयुक्त सचिव के पद पर 02 अधिकारियों के कार्यरत हो जाने से 01 अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) के अतिरिक्त हो जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से 01 अधिकारी के वेतन भत्तो का वेतनमान 6500—10500 में रचनाक्रम के मान से भुगतान किया जाना संभव नही है।

अतः मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 07.04.2014 के परिपालन में प्रकरण के निराकरण हेतु वरिष्ठताक्रम के मान से निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:—

1. डॉ. मुमताज जहां खान संयुक्त सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. भोपाल के वेतन भत्तो का भुगतान संयुक्त सचिव के स्वीकृत पद वेतनमान से किये जाने का निर्णय लिया जाता है तथा श्रीमती खॉन का पदनाम संयुक्त सचिव रहेगा।

2. श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर जो वर्तमान में वेतनमान 6500–10500 में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हो कर वेतन प्राप्त कर रही है। अब श्रीमती अंकुलनेरकर को समान वेतनमान 6500–10500 में ही राज्य संगठन आयुक्त (गा) के पद से वेतन भत्ते भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है। अतः श्रीमती अनीता अंकुलनेरकर का पदनाम राज्य संगठन आयुक्त, गाइड होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि श्रीमती मुमताज खॅान के संयुक्त सचिव पद पर पदस्थ हो जाने पर श्रीमती अनीता अंकुलनेरकर का सिर्फ पद नाम परिवर्तित होगा वेतनमान में कोई अंतर नही आयेगा क्योंकि दोनो पद संयुक्त सचिव एवं राज्य संगठन आयुक्त,गाइड समान वेतनमान के है।
3. श्रीमती सी.के. उपाध्याय जो वर्तमान में राज्य संगठन आयुक्त (गा.) के पद पर पदोन्नत होकर वेतनमान 6500–10500 में वेतन भत्ते प्राप्त कर रही है। नियमानुसार अब श्रीमती उपाध्याय को राज्य संगठन आयुक्त (गा.) के पद वेतनमान 6500–10500 से 01 पद नीचे सहायक राज्य संगठन आयुक्त (गा.) के वेतनमान 5000–8000 मे जिससे उन्हें राज्य संगठन आयुक्त,गाइड के पद पर पदोन्नत किया गया था। पूर्ववत पदस्थ करते हुए सहायक राज्य संगठन आयुक्त (गा.) भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. संभागीय कार्यालय इंदौर म.प्र. में सहायक राज्य संगठन आयुक्त (गा.) के रिक्त पद पर पदस्थ करते हुए वेतनमान 5000–8000 में वेतन भत्तो के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

<u>राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

पृ0क्र0 / 8407 / रा0मु0 / स्था. / 2014 भोपाल, दिनांक 06.06.14

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. राज्य मुख्य आयुक्त राज्य मुख्यालय भोपाल।
2. संयु. राज्य सचिव / राज्य संग. आयु. / राज्य प्रशि. आयु. (स्का / गा) रा. मु. भोपाल।
3. लेखाधिकारी / कार्यालय अधीक्षक, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त(स्का / गा) संभागीय कार्यालय
5. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का) संभागीय कार्यालय भारत स्काउट एवं गाइड इंदौर
6. संबंधित डॉ.मुमताज जहां खान, संयुक्त राज्य सचिव, रा.मु. भोपाल।
7. श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, राज्य संगठन आयुक्त (गा.) राज्य मुख्यालय भोपाल।
8. श्रीमती सी.के. उपाध्याय, राज्य मुख्यालय भोपाल।
9. व्यक्तिगत नस्ती / स्थापना कक्ष।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड